न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 — 290/2022

अनवान : —

1. वलेन्द्र कुमार पुत्र महावीर जाति जाट निवासी जसाना त0 नोहर।

वादी

बनाम्

1. महावीर पुत्र नोपाराम जाति जाट निवासी जसाना त0 नोहर।
2. शैलेन्द्र कुमार पुत्र महावीर जाति जाट निवासी जसाना त0 नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88—89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :— श्री मांगेराम गोदारा वादी
श्री मनीराम सारावग प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक: 27·12·2022

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा 6 बारानी के खाता सं0 350/352 के मु0नं0 169 के किला नं0 16, मु0नं0 168 के किला नं0 20, मु0नं0 87 के किला नं0 1, 2, 3, 4, 5, मु0नं0 115 के किला नं0 1, 2, 3, 8/1, 9, 10 कुल 13 किले की कुल तादादी 3.1630 प्रतिवादी सं0 1 महावीर पुत्र नोपाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू रीति—रिवाज से शासित है। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली, उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी तथा प्रतिवादी सं0 1 ता 2 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। लिहाजा यही विनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद प्रतिवादीगण सं0 1 ता 2 ने दावा की सभी गद संख्याओं को स्वीकार करते हुए अपना जवाब ईकबाल पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं0 3 ने अपना जवाब प्रस्तुत किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.14 12:02:58 IST
Reason: SelfAttested

साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत साक्ष्य परीक्षा पेश कर [illegible] प्रस्तुत पेश-(सभी) दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

उपखण्ड अधिकारी नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी को घरेलु जरूरतों के हिसाब से केसीसी आदि की आवश्यकता रहती है जिसके लिए अपने हिस्सा अनुसार अपने हकों की घोषणा करवाना चाहता है। इस हेतु प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट कर वाद की सभी मद संख्याओं को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल पेश किया है। अतः मुताबिक अनुतोष वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन है।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में वादी ने रोही मौजा 6 बारानी के खाता सं0 350/352 के मु0नं0 169 के किला नं0 16, मु0नं0 168 के किला नं0 20, मु0नं0 87 के किला नं0 1, 2, 3, 4, 5, मु0नं0 115 के किला नं0 1, 2, 3, 8/1, 9, 10 कुल 13 किले की कुल तादादी 3.1630 प्रतिवादी सं0 1 महावीर पुत्र नोपाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं0 1 महावीर के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी सं0 1 ने अपना हक हिस्सा वादी तथा प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार वादी वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 6 बारानी के खाता सं0 350/352 के मु0नं0 169 के किला नं0 16, मु0नं0 168 के किला नं0 20, मु0नं0 87 के किला नं0 1, 2, 3, 4, 5, मु0नं0 115 के किला नं0 1, 2, 3, 8/1, 9, 10 कुल 13 किले की कुल तादादी 3.1630 प्रतिवादी सं0 1 महावीर पुत्र नोपाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में प्रतिवादी सं0 1 महावीर पुत्र नोपाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी बलेन्द्र कुमार व प्रतिवादी संख्या 2 शैलेन्द्र कुमार को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामज कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27/12/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर, नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.14 12:02:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर नोहर, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 290/2022

अनवान : –

1. बलेन्द्र कुमार पुत्र महावीर जाति जाट निवासी जसाना त0 नोहर।

वादी

बनाम्

1. महावीर पुत्र नोपाराम जाति जाट निवासी जसाना त0 नोहर।
2. शैलेन्द्र कुमार पुत्र महावीर जाति जाट निवासी जसाना त0 नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मांगेराम गोदारा व वकील प्रतिवादी श्री मनीराम सरावग की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 6 बारानी के खाता सं0 350/352 के मु0नं0 169 के किला नं0 16, मु0नं0 168 के किला नं0 20, मु0नं0 87 के किला नं0 1, 2, 3, 4, 5, मु0नं0 115 के किला नं0 1, 2, 3, 8/1, 9, 10 कुल 13 किले की कुल तादादी 3.1630 प्रतिवादी सं0 1 महावीर पुत्र नोपाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में प्रतिवादी सं0 1 महावीर पुत्र नोपाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी बलेन्द्र कुमार व प्रतिवादी संख्या 2 शैलेन्द्र कुमार को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामज कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/12/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.14 12:02:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner